

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ 9/सहायता(178)बाढ/रेस्टोरेशन/2025/4983

दिनांक:- 11/12/2025

**प्रशासनिक स्वीकृति**

मानसून वर्ष-2025 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन हेतु संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(31)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/Rajkaj Ref 19178484 जयपुर दिनांक 04.12.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 209/2025-26 के अनुसार बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ, चक्रवात आदि, 106- खराब सडकों तथा पुलो की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 08-बाढ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलो की मरम्मत तथा पुनस्थापना 01- सडको की मरम्मत एवं पुनस्थापना, 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25% )के अन्तर्गत निम्नांकित मरम्मत कार्यों की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाए।

सडकों के मरम्मत कार्यों का सारांश-

क्र. सं०	कार्यकारी विभाग/संस्था	ब्लॉक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद	शाहबाद	35 (157.40KM)	94.44
योग			35	94.44

पुलियाओं(सी.डी.) मरम्मत कार्यों का सारांश-

क्र. सं०	कार्यकारी विभाग/संस्था	ब्लॉक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद	शाहबाद	20	12.00
योग			20	12.00

1-कार्यकारी एजेन्सी-अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, शाहबाद (ब्लॉक-शाहबाद)

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सडकों का विवरण	क्षतिग्रस्त सडको की लोकेशन	कुल कि.मी. का विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	अजरोडा से बहराई	0/00 to 3/00	3.00	1.80
2	कस्बाथाना से बमनगवां	0/00 to 5/000	5.00	3.00
3	तिलगवां से पुरैनी टाण्डा कछियान	4/00 to 11/200	7.20	4.32
4	एन.एच.-27 से देवरी उपरेटी	0/00 to 8/000	8.00	4.80
5	बीलखेड़ा माल से गोयरा	0/00 to 5/000	5.00	3.00
6	गोयरा से होडापुरा	0/00 to 4/000	4.00	2.40
7	एन.एच.-27 से खाण्डा सहरोल	0/00 to 3/200	3.20	1.92
8	शाहबाद से सहरोल तलहेटी	0/00 to 2/500	2.50	1.50
9	मुण्डियर से कलोनी	0/00 to 2/000	2.00	1.20
10	सम्पर्क सडक बसेली	0/00 to 2/800	2.80	1.68
11	चन्दनहेडा से खरदा	0/00 to 6/000	6.00	3.60
12	बीलखेड़ा माल से सड	0/00 to 3/120	3.12	1.87
13	बल्हारपुर से मण्डी सहजना	0/00 to 5/000	5.00	3.00
14	कस्बाथाना-आगर रोड से सेमली तलहेटी	0/00 to 1/220	1.22	0.73
15	खटका गणेशपुरा से सेमरा	0/00 to 1/560	1.56	0.94

Signature valid

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar  
Designation : Collector & District Magistrate  
Date: 2025.12.10 11:00:06 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
19238179

eSign 1.0



16	समरानियां से हाटरी वाया महोदरा	0/00 to 1/000	1.00	0.60
17	देवरी-चौराखाड़ी से पठारी-सांधरी	0/00 to 6/500	6.50	3.90
18	कस्बाथाना से कालीमाता जी मंदिर	0/00 to 0/500	0.50	0.30
19	एन.एच.-27 से सनवाड़ा	0/00 to 6/000	6.00	3.60
20	सम्पर्क सड़क शुभधरा	0/00 to 2/000	2.00	1.20
21	कस्बाथाना से टाण्डा अहिरान	0/00 to 4/100	4.10	2.46
22	देवरी से बमनगवां वाया तिलगवां	9/00 to 15/500	6.50	3.90
23	बीलखेड़ा डांग से पाटन	0/00 to 7/00	7.00	4.20
24	गदरेटा से निवारी	0/00 to 6/00	6.00	3.60
25	सम्पर्क सड़क धतुरिया	0/00 to 0/500	0.50	0.30
26	मुण्डियर से राजपुर बैहटा अप टू स्टेट बोर्डर	0/00 to 18/00	18.00	10.80
27	सम्पर्क सड़क बरारा	0/00 to 2/000	2.00	1.20
28	खाण्डा सहरोल से बिची	0/00 to 5/000	5.00	3.00
29	शाहाबाद से मझारी	0/00 to 8/000	8.00	4.80
30	एन.एच.-76 कि.मी. 573/0 से घुंवा	0/00 to 7/00	7.00	4.20
31	केलवाड़ा से छिछरोनी	0/00 to 1/500	1.50	0.90
32	सम्पर्क सड़क से हरिपुरा	0/00 to 3/500	3.50	2.10
33	केदारकुई से सिलोरा सड़क	0/00 to 2/200	2.20	1.32
34	आगर से सन्दोकड़ा	0/00 to 6/00	6.00	3.60
35	कछियाथाना से औगाड़	0/00 to 4/500	4.50	2.70

योग **157.40** **94.44**

**2- पुलियाओं की मरम्मत (सी.डी.) कार्य विवरण प्रति पुलिया राशि 0.60 लाख**

कार्यकारी एजेन्सी- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहबाद (ब्लॉक-शाहबाद)

पुलियाओं के मरम्मत कार्यों का विवरण

पुलिया की लोकेशन

प्रशासनिक स्वीकृति  
लाखों में

1	जैतपुरा से सिरसोदखुर्द वायां खण्डेला केलवाड़ा पीपलखेड़ी (भैंसासुर नदी) कि.मी. 21/900	.21/900	0.60
2	जैतपुरा से सिरसोदखुर्द वायां खण्डेला केलवाड़ा पीपलखेड़ी कि. मी. 0/600	0/600	0.60
3	कस्बाथाना से बमनगवां कि.मी. 8/00	8/00	0.60
4	देवरी से सांधरी वायां पठारी कि.मी. 3/00	3/00	0.60
5	देवरी से सांधरी वायां पठारी कि.मी. 8/00	8/00	0.60
6	देवरी से बमनगवां वायां तिलगवां कि.मी. 8/00	8/00	0.60
7	ऊनी केदारकुई सड़क से सिलोरा कि.मी. 2/00, 3/200	2/00 & 3/200	0.60
8	ऊनी केदारकुई सड़क कि.मी. 4/600, 5/600	4/600 & 5/600	0.60
9	समरानियां से नाटई अजरौंडा कि.मी. 5/800	5/800	0.60
10	सम्पर्क सड़क शुभधरा कि.मी. 0/500	0/500	0.60
11	आगर से सन्दोकड़ा कि.मी. 0/350	0/350	0.60
12	तिलगवां पुरेनी से टाण्डा कछियान कि.मी. 6/900	6/900	0.60
13	कछियाथाना से औगाड़ कि.मी. 4/00, 1/900	4/00 1/900	0.60
14	देवरी से चौराखाड़ी कि.मी. 3/00 एवं 5/300	3/00 एवं 5/300	0.60
15	सम्पर्क सड़क सेमली तलहेटी कि.मी. 0/700	0/700	0.60
16	सम्पर्क सड़क बसेली कि.मी. 1/00	1/00	0.60
17	एन.एच.-27 से सनवाड़ा कि.मी. 3/00	3/00	0.60
18	बीलखेड़ा माल से गोयरा कि.मी. 0/300 एवं 3/00	0/300 एवं 3/00	0.60
19	बीलखेड़ा डांग से पाटन कि.मी. 4/00	4/00	0.60
20	कस्बाथाना से मझोला कि.मी. 3/800	3/800	0.60
योग			<b>12.00</b>

Signature valid

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar  
Designation : Collector & District Magistrate  
Date: 2025.12.10 11:00:06 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
19238179  
eSign 1.0

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :-

1. कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद (क्षेत्रानुसार) होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा तथा भुगतान का दायित्व भी संबंधित कार्यकारी एजेन्सी का होगा।
3. सभी स्वीकृत कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ (कॉन्डिनेट्स), कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 30 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. डिफेक्ट लाईबिलिटी अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावे।
6. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
7. यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित सड़कों/पुलियाओं का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
8. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध विभागीय राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
9. कार्यों का निष्पादन वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
10. एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के नोर्स एवं विभागीय दिशानिर्देशों की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पूर्ण पालना आवश्यक होगी।
11. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर के जारी दिशा निर्देश एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2025 राजकाज 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
12. "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

5.

6.

क्रमांक:-एफ 9/सहायता(178)बाढ/रेस्टोरेशन/2025/4984-90

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बारां
- 4 उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद जिला बारां।
- 5 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद को भेजकर निर्देश है कि उक्त स्वीकृत कार्यों की नियमानुसार अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी कर, इस कार्यालय को भिजवायें।
- 6 कोषाधिकारी, बारां।
- 7 प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

12

(रोहिताश्व सिंह तोमर)

जिला कलक्टर, बारां

दिनांक:- 11/12/2025

जिला कलक्टर,

बारां

Signature valid

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar  
Designation : Collector & District Magistrate  
Date: 2025.12.10 14:00:06 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

19238179

eSign 1.0

क्रमांक

प्रतिलिपि

2

3

4

5

6